[लोक सभा द्वारा 6 अप्रैल, 2017 को पारित रूप में]

2017 का अधिनियम संख्यांक 69-सी

[दि टैक्सेशन लाज (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956, वित्त अधिनियम, 2001 और वित्त अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए तथा कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध में प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

अध्याय 1

सीमाशुल्क

धारा 2 का संशोधन ।

2. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (11) में, "सीमाशुल्क स्टेशन" के पश्चात्, "या किसी भांडागार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे । 1962 का 52

नई धारा 108क और धारा 108ख का अंत:स्थापन ।

3. सीमाशुल्क अधिनियम की 108 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

सूचना देने की बाध्यता ।

"108क. (1) कोई भी व्यक्ति, जो--

(क) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य पब्लिक निकाय या संगम है ; या

(ख) माल या सेवाओं से संबंधित मूल्यवर्धित कर या विक्रय कर या किसी अन्य कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई भी प्राधिकारी है ; या

(ग) आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आय-कर प्राधिकारी है ; या 1961 का 43

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क के खंड (क) के अर्थांतर्गत कोई बैंककारी कंपनी है ; या 1934 का 2

(ङ) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (घघ) के अर्थांतर्गत कोई सहकारी बैंक है ; या 1961 का 47

(च) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (च) के अर्थांतर्गत कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है ; या 1934 का 2

(छ) कोई राज्य विद्युत बोर्ड है या विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी है या कोई अन्य ऐसा अस्तित्व है, जिसे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्य सौंपे गए हैं ; या 2003 का 36

(ज) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या कोई उप रजिस्ट्रार है ; या 1908 का 16

(झ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थांतर्गत कोई रजिस्ट्रार है ; या 2013 का 18

(ञ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 4 के अधीन मोटर यानों को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सशक्त कोई रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है ; या 1988 का 59

(ट) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कलक्टर है ; या 2013 का 30

(ठ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज है ; या 1956 का 42

(ड) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड.) में निर्दिष्ट कोई निक्षेपागार है ; या 1996 का 22

1898 का 6

(ढ) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (ञ) के अर्थांतर्गत महा पोस्ट मास्टर है ; या

1992 का 22

(ण) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 के खंड (घ) के अर्थांतर्गत विदेशी व्यापार महानिदेशक है ; या

1989 का 24

(त) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (18) के अर्थांतर्गत किसी क्षेत्रीय रेल का महाप्रबंधक है ; या

1934 का 2

(थ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी है,

जो ऊपर विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य ऐसी विधि, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत समझा गया है, के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विवरण या लेखाओं का अभिलेख रखने या कोई अन्य सूचना रखने के लिए उत्तरदायी है, समुचित अधिकारी को ऐसी सूचना ऐसी रीति में देगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) जहां समुचित अधिकारी यह समझता है कि उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचना त्रुटिपूर्ण है, वहां वह त्रुटि को उस व्यक्ति को संसूचित कर सकेगा, जिसने ऐसी सूचना दी है और उसे ऐसी संसूचना की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो इस निमित्त किए गए आवेदन पर समुचित अधिकारी अनुज्ञात करे, त्रुटि में सुधार करने का अवसर दे सकेगा और यदि त्रुटि, यथास्थिति, सात दिन की उक्त अवधि या और ऐसी अवधि, जो अनुज्ञात की जाए, के भीतर उस त्रुटि में सुधार नहीं करता है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना को नहीं दी गई के रूप में समझा जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे ।

(3) जहां कोई व्यक्ति, जिससे सूचना दी जानी अपेक्षित है, उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे नहीं देता है, वहां समुचित अधिकारी उस पर एक नोटिस की तामील, उसे नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर ऐसी सूचना देने की अपेक्षा करते हुए, कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसी सूचना देगा ।

सूचना विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति ।

108ख. जहां वह व्यक्ति, जिससे धारा 108क के अधीन सूचना देने की अपेक्षा की गई है, उसकी उपधारा (3) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को ऐसी अवधि के, जिसके दौरान ऐसी सूचना देने में असफलता जारी रहती है, प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने का निदेश दे सकेगा ।"।

अध्याय 2

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51

4. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 में,--

धारा 3 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) में,--

(i) खंड (ii) में मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी,

अर्थात् :--

"(क) उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (5), उपधारा (7) और उपधारा (9) में निर्दिष्ट शुल्क ;";

(ii) परंतुक के उपखंड (ख) में मद (ii) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (6) के खंड (ii) में, मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(क) उपधारा (5), उपधारा (7) और उपधारा (9) में निर्दिष्ट शुल्क ;";

(ग) उपधारा (7) और उपधारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(7) किसी भी वस्तु पर, जिसका भारत में आयात किया जाता है, चालीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर ऐसा अतिरिक्त एकीकृत कर उद्गृहीत किया जाएगा, जो उपधारा (8) के अधीन यथा अवधारित आयातित वस्तु के मूल्य पर भारत में पूर्ति की गई उसी प्रकार की वस्तु पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अधीन उद्ग्रहणीय है ।

(8) किसी आयातित वस्तु पर उपधारा (7) के अधीन एकीकृत कर की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, जहां ऐसा कर उसके मूल्य की प्रतिशतता पर उद्ग्रहणीय है, वहां आयातित वस्तु का मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :-- 1962 का 52

(क) यथास्थिति, आयातित वस्तु का, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित मूल्य या ऐसी वस्तु का, उस धारा की उपधारा (2) के अधीन नियत टैरिफ मूल्य ; और

(ख) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन उस वस्तु पर प्रभार्य कोई भी सीमाशुल्क और उस वस्तु पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रभार्य कोई भी राशि, जो सीमाशुल्क के अतिरिक्त और उसी रीति में हो, किन्तु इसके अंतर्गत उपधारा (7) में निर्दिष्ट कर या उपधारा (9) में निर्दिष्ट उपकर नहीं है ।

(9) किसी भी वस्तु पर, जिसका भारत में आयात किया जाता है, ऐसी दर पर माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर उद्गृहीत किया जाएगा, जो उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित आयातित वस्तु के मूल्य पर भारत में पूर्ति की गई उसी प्रकार की वस्तु पर माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) उपकर अधिनियम, 2017 की धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय है ।

(10) किसी आयातित वस्तु पर उपधारा (9) के अधीन माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, जहां ऐसा कर उसके मूल्य की किसी प्रतिशतता पर उद्ग्रहणीय है, वहां आयातित वस्तु का मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :-- 1962 का 52

(क) यथास्थिति, आयातित वस्तु का, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित मूल्य या ऐसी

वस्तु का, उस धारा की उपधारा (2) के अधीन नियत टैरिफ मूल्य ; और

(ख) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन उस वस्तु पर प्रभार्य कोई भी सीमाशुल्क और उस वस्तु पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रभार्य कोई भी राशि, जो सीमाशुल्क के अतिरिक्त और उसी रीति में हो, किन्तु इसके अंतर्गत उपधारा (7) में निर्दिष्ट कर या उपधारा (9) में निर्दिष्ट उपकर नहीं है ।

(11) इस धारा के अधीन प्रभार्य, यथास्थिति, शुल्क या कर या उपकर इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित, यथास्थिति, किसी अन्य शुल्क या कर या उपकर के अतिरिक्त होगा ।

1962 का 52

(12) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंध तथा उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, जिसके अंतर्गत शुल्कों की वापसियां, प्रतिदाय और छूट से संबंधित नियम और विनियम भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन प्रभार्य, यथास्थिति, शुल्क या कर या उपकर को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्कों के संबंध में लागू होते हैं ।"।

अध्याय 3

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

5. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा (2) में,-- धारा 2 का संशोधन ।

1986 का 5

(क) खंड (घ) में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची" शब्दों के स्थान पर, "चौथी अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ङ) में, "नमक से भिन्न" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (च) के उपखंड (ii) में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची" शब्दों के स्थान पर, "चौथी अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे ।

1986 का 5

6. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"3. (1) ऐसे सभी उत्पाद-शुल्क्य माल (विशेष आर्थिक जोनों में उत्पादित या विनिर्मित माल को छोड़कर) पर, जिनका उत्पादन या विनिर्माण भारत में किया गया है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसी दर पर, जो चौथी अनुसूची में उपवर्णित है, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सैनवेट) नामक उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा : चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क का उद्गृहीत किया जाना ।

परंतु उत्पाद-शुल्क, जो ऐसे किसी शुल्क्य माल पर, जो किसी सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा उत्पादित या विनिर्मित किया गया है और भारत में किसी स्थान में लाया गया है, उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, ऐसे सीमाशुल्क के बराबर रकम होगी, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भारत से बाहर उत्पादित या विनिर्मित वैसे ही माल पर होती, यदि भारत में आयात किया जाता और जहां उक्त सीमाशुल्क उनके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य हैं, वहां ऐसे शुल्क्य माल का मूल्य इस अधिनियम के अन्य उपबंधों में

1962 का 52

अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा । 1975 का 51

स्पष्टीकरण 1—जहां उसी प्रकार के किसी भी माल की बाबत तत्समय प्रवृत्त उद्ग्रहणीय कोई भी सीमाशुल्क भिन्न-भिन्न दरों पर उद्ग्रहणीय है, वहां इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए ऐसा शुल्क उन दरों में से उच्चतम दर पर उद्ग्रहणीय समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम" से ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस निमित्त नियुक्त किए गए बोर्ड द्वारा सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है ; 1951 का 65

(ii) "विशेष आर्थिक जोन" का वह अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) में है ; 2005 का 28

(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसे सभी उत्पाद-शुल्क्य माल की बाबत, जिनका उत्पादन या विनिर्माण सरकार द्वारा या उसकी ओर से भारत में किया गया है, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे ऐसे माल की बाबत लागू होते हैं, जिनका उत्पादन या विनिर्माण सरकार द्वारा नहीं किया गया है ।

(3) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, उक्त शुल्क के उद्ग्रहण के प्रयोजनों के लिए, या तो विनिर्दिष्टतया या साधारण शीर्षों के अधीन, चौथी अनुसूची में मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य के रूप में प्रगणित किन्हीं वस्तुओं के टैरिफ मूल्य नियत कर सकेगी ।

(4) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए भिन्न-भिन्न टैरिफ मूल्य नियत कर सकेगी,--

(क) भिन्न-भिन्न वर्गों या वर्णनों के एक ही उत्पाद-शुल्क्य माल के लिए, या

(ख) एक ही वर्ग या वर्णन के उत्पाद-शुल्क्य माल के लिए, जो,--

(i) भिन्न-भिन्न वर्गों के उत्पादकों या विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित या विनिर्मित हो ; या

(ii) भिन्न-भिन्न वर्गों के क्रेताओं को विक्रय किया गया हो :

परंतु उपखंड (i) या उपखंड (ii) के अधीन आने वाले उत्पाद-शुल्क्य माल की बाबत भिन्न-भिन्न टैरिफ नियत करने में, यथास्थिति, भिन्न-भिन्न वर्गों के उत्पादकों या विनिर्माताओं द्वारा प्रभारित विक्रय कीमतों या माल के थोक व्यापार की सामान्य प्रचलन का ध्यान रखा जाएगा ।"।

धारा 3क का संशोधन ।

7. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3क के स्पष्टीकरण में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची" शब्दों के स्थान पर, "चौथी अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे । 1986 का 5

नई धारा 3ख और धारा 3ग का अंत:स्थापन ।

8. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3क के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार की आपात शक्ति ।

'3ख. (1) जहां किसी माल की बाबत केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए और यह कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिससे तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, वहां केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, ऐसे माल की बाबत उसमें विनिर्दिष्ट शुल्क की दर को प्रतिस्थापित करने के लिए, चौथी अनुसूची को निम्नलिखित रीति में संशोधित कर सकेगी, अर्थात् :--

(क) ऐसी दशा में, जहां अधिसूचना के जारी किए जाने से ठीक पहले चौथी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्रवृत्त शुल्क की दर शून्य है, वहां शुल्क की दर किसी भी रूप या पद्धति में अभिव्यक्त मूल्यानुसार पचास प्रतिशत से अनधिक होगी ;

(ख) किसी अन्य दशा में, शुल्क की ऐसी दर होगी, जो चौथी अनुसूची में ऐसे माल की बाबत विनिर्दिष्ट शुल्क की ऐसी दर से दोगुने से अधिक नहीं होगी, जो उक्त अधिसूचना के जारी किए जाने से ठीक पहले प्रवृत्त है :

परंतु केंद्रीय सरकार इस उपधारा के अधीन जारी की गई किसी पूर्व अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किसी माल की बाबत शुल्क की दर को प्रतिस्थापित करने के लिए इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, उपधारा (2) के अधीन उपांतरणों के साथ या उसके बिना, ऐसी पूर्व अधिसूचना को अनुमोदित करने से पहले जारी नहीं करेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उत्पाद-शुल्क की दर के संबंध में "रूप या पद्धति " से ऐसा आधार, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन, भार, संख्या, लंबाई, क्षेत्र, परिमाण या कोई अन्य उपाय भी हैं, अभिप्रेत है, जिस पर शुल्क उद्गृहीत किया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सत्र के समक्ष, जब वह सत्र में हो, और यदि सत्र में न हो, तो उसके पुन: समवेत होने के सात दिन के भीतर, रखी जाएगी और केंद्रीय सरकार, उस दिन से, जिसको लोक सभा के समक्ष अधिसूचना इस प्रकार रखी जाती है, आरंभ होने वाले दिन से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर किए गए संकल्प द्वारा अधिसूचना पर संसद् के अनुमोदन की मांग करेगी और यदि संसद् अधिसूचना में कोई उपांतरण करती है या यह निदेश देती है कि अधिसूचना प्रभावी नहीं रहनी चाहिए तो तत्पश्चात् अधिसूचना, यथास्थिति, उस परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी नहीं रहेगी, किंतु ऐसा करने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, किसी भी समय, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई कोई भी अधिसूचना, जिसके अंतर्गत उपधारा (2) के अधीन अनुमोदित या उपांतरित कोई अधिसूचना भी है, विखंडित की जा सकेगी ।

केंद्रीय सरकार की चौथी अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति ।

3ग. जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चौथी अनुसूची को संशोधित कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई भी संशोधन, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी दर को, जिस पर उसमें विनिर्दिष्ट माल पर उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय है, किसी भी रीति में परिवर्तित या प्रभावित नहीं करेगा ।'।

धारा 38 का संशोधन ।

9. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 38 में, "धारा 3क" शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात्, "धारा 3ग" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 38ख का अंत:स्थापन ।

10. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 38क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के प्रति निर्देश की व्यावृत्ति ।

"38ख. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 174 की उपधारा (1) द्वारा केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों में, या उसके अधीन जारी की गई किसी भी अधिसूचना, परिपत्र, आदेश या अनुदेश में, यथास्थिति, अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के प्रति किसी निर्देश का अर्थ चौथी अनुसूची में, यथास्थिति, अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के प्रति निर्देश होगा ।"। 1986 का 5

तीसरी अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूचियों का प्रतिस्थापन ।

11. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में तीसरी अनुसूची के स्थान पर, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूची रखी जाएगी ।

तीसरी अनुसूची के पश्चात् नई अनुसूचियों का अंत:स्थापन ।

12. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में तीसरी अनुसूची के पश्चात्, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी ।

अध्याय 4

केन्द्रीय विक्रय-कर

धारा 2 का संशोधन ।

13. केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-- 1956 का 74

(क) खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,अर्थात् :--

'(घ) "माल" से निम्नलिखित अभिप्रेत है--

(i) अपरिष्कृत पैट्रोलियम ;

(ii) उच्च गति डीजल ;

(iii) मोटर स्पिरिट (जो सामान्यता पैट्रोल के नाम से ज्ञात है) ;

(iv) प्राकृतिक गैस ;

(v) विमानन टर्बाइन ईंधन ; और

(vi) मानव उपभोग के लिए अल्कोहाली लिकर ।

14. केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम की धारा 14 का लोप किया जाएगा । धारा 14 का लोप ।

15. केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम की धारा 15 का लोप किया जाएगा । धारा 15 का लोप ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

16. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में,-- 2001 के अधिनियम संख्यांक 14 की सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

(क) टैरिफ मद 2402 20 10, 2402 20 20, 2402 20 30, 2402 20 40, 2402 20 50, 2402 20 90, 2402 90 10, 2403 11 10, 2403 19 10, 2403 19 10, 2403 19 21, 2403 19 29, 2403 19 90, 2403 91 00, 2403 99 10, 2403 99 20, 2403 99 30, 2403 99 40, 2403 99 50, 2403 99 60, 2403 99 90 और 2409 00 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के सिवाय, अन्य सभी शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 2709 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
"2709 20 00	- अपरिष्कृत पैट्रोलियम	कि0ग्रा0	50 रु0 प्रति टन "।

17. वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची में, टैरिफ मद 2106 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा । 2005 के अधिनियम संख्यांक 18 की सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

18. (1) तीसरी अनुसूची के तीसरे स्तंभ में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, उसके चौथे स्तंभ में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के विस्तार तक, निरसित की जाती है । कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और व्यावृत्ति ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निरसन के होते हुए भी, ऐसा निरसन,--

(क) किसी ऐसी विधि को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, निगमित या निर्दिष्ट किया गया है ;

(ख) निरसित अधिनियमिति के अधीन पहले से ही की गई या हुई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम को अथवा पहले से ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी भी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व को अथवा उसकी बाबत किसी भी उपचार या कार्यवाही को अथवा किसी भी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग की निर्मुक्ति या उससे निर्मोचन को अथवा पहले से ही प्रदान किए गए किसी संरक्षण को अथवा किसी पिछले कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा ;

(ग) विधि शासन के किसी सिद्धांत को, सिद्ध अधिकारिता को, अभिवचन के प्ररूप या प्रक्रम को, प्रचलन या प्रक्रिया को अथवा विद्यमान प्रथा, रूढि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति को इस बात के होते हुए भी प्रभावित नहीं करेगा कि उसे क्रमश: किसी निरसित अधिनियमिति द्वारा उसमें या उससे

किसी भी रीति में अभिपुष्ट या मान्यताप्राप्त या वंचित कर दिया गया हो ;

(घ) अब अविद्यमान या अप्रवृत्त किसी अधिकारिता, पद, रूढि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, प्रचलन, प्रक्रिया या किसी अन्य विषय या बात को पुन:प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा ।

(3) निरसनों के प्रभाव के संबंध में उपधारा (1) में विशिष्ट विषयों के उल्लेख से साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या उसे प्रभावित नहीं करेगा । 1897 का 10

शुल्कों के बकाया का संग्रहण और संदाय ।

19. तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी, धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन नियत तारीख के ठीक पूर्व उक्त अधिनियमितियों के अधीन उद्गृहीत शुल्कों के उत्पाद,--

(i) यदि संग्रहण अभिकरणों द्वारा संगृहीत किए गए हैं, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक को संदत्त नहीं किए गए हैं ; या

(ii) यदि संग्रहण अभिकरणों द्वारा संगृहीत नहीं किए गए हैं,

तो भारत की संचित निधि में जमा किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को, यथास्थिति, संदत्त या संगृहीत और संदत्त किए जाएंगे ।

पहली अनुसूची

(धारा 11 देखिए)

'तीसरी अनुसूची

[धारा 2 (च)(iii) देखिए]

टिप्पण

1. इस अनुसूची में, "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "टैरिफ मद" से चौथी अनुसूची में क्रमश: कोई शीर्ष, उपशीर्ष और टैरिफ मद अभिप्रेत है ।

2. चौथी अनुसूची के निर्वचन का नियम, भाग, अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण इस अनुसूची के निर्वचन को लागू होगा ।

क्रम सं0	शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	**माल का विवरण**
1.	2402 20 10 से 2402 20 90	समस्त माल
2.	2403 99 10, 2403 99 20, 2403 99 30	चबाने वाला तंबाकू और चबाने वाले तंबाकू वाली निमिर्तियां
3.	2403 99 90	तंबाकू वाला पान मसाला ।'।

दूसरी अनुसूची

(धारा 12 देखिए)

'चौथी अनुसूची

[धारा 2(घ) और 2(च)(ii) देखिए]

इस अनुसूची के निर्वचन के लिए साधारण नियम

इस अनुसूची में माल का वर्गीकरण निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित होगा :

1. केवल निर्देश की सहजता के लिए भागों, अध्यायों और उप अध्यायों के शीर्षक उपबंधित किए गए हैं ; विधिक प्रयोजनों के लिए वर्गीकरण का अवधारण शीर्षों और किन्हीं संबंधित भागों या अध्याय टिप्पण के पदों के अनुसार और निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा बशर्ते ऐसे शीर्ष या टिप्पण अन्यथा अपेक्षित नहीं हैं ।

2. किसी शीर्ष में—

(क) किसी अनुच्छेद के प्रति किसी निर्देश को उस अपूर्ण या अधूरे अनुच्छेद के प्रति निर्देश को सम्मिलित करने के लिए लिया जाएगा परंतु ऐसा तब, जब यथा प्रस्तुत अपूर्ण या अधूरा अनुच्छेद उस अनुच्छेद को पूरा या समाप्त करने का आवश्यक स्वरूप रखता है । इसे उस पूर्ण या समाप्त अनुच्छेद के प्रति निर्देश को, सम्मिलित करने (या इस नियम के आधार पर पूर्ण या समाप्त रूप में होने के लिए आने वाले) के लिए भी लिया जाएगा ।

(ख) किसी सामग्री या पदार्थ के प्रति निर्देश को अन्य सामग्रियों या पदार्थों के साथ उस सामग्री या पदार्थ के मिश्रण या संयोजन के प्रति निर्देश को सम्मिलित करने के लिए लिया जाएगा । किसी दी गई सामग्री या पदार्थ के माल के प्रति निर्देश को ऐसी सामग्री या पदार्थ से पूर्णत: या भागत: मिलकर बनने वाले माल के प्रति निर्देश को सम्मिलित करने के लिए लिया जाएगा । एक से अधिक सामग्री या पदार्थ से मिलकर बने माल का वर्गीकरण नियम 3 के सिद्धांत के अनुसार होगा ।

3. जब नियम 2 के खंड (ख) के लागू होने से या किसी अन्य कारण से माल, प्रथमदृष्टतया दो या अधिक शीर्षों के अधीन वर्गीकरणीय है, तो वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में प्रभावी होगा—

(क) ऐसे शीर्ष को, जिसमें सर्वाधिक विनिर्दिष्ट विवरण उपबंधित है, अधिक साधारण विवरण का उपबंध करने वाले शीर्ष से अधिमान दिया जाएगा । तथापि जब दो या अधिक शीर्ष, मिश्रित या सम्मिश्र माल वाली सामग्री या पदार्थ के केवल भाग के प्रति या किसी मद के केवल भाग के प्रति प्रत्येक निर्देश को खुदरा विक्रय के लिए रखा जाता है, वहां उन शीर्षों को उस माल के संबंध में बराबर विनिर्दिष्ट के रूप में माना जाना है, चाहे उनमें से एक उस माल का अधिक पूर्ण या सुस्पष्ट विवरण देता है ;

(ख) विभिन्न सामग्रियों से या विभिन्न संघटक से मिलकर बना मिश्रण या सम्मिश्र माल और फुटकर विक्रय के लिए समुच्चय में रखा गया माल, जिसे खंड

(क) के प्रति निर्देश द्वारा वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा मानो वे ऐसी सामग्री या संघटक से मिलकर बने हैं, जो उसे आवश्यक स्वरूप देता है, जहां तक यह मानदंड लागू है ;

(ग) जहां माल को खंड (क) या खंड (ख) के प्रति निर्देश द्वारा वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, वहां उन्हें ऐसे शीर्ष के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, जो उस माल की संख्याओं के क्रम के अंत में आता है, जिसका गुण समान है ।

4. ऐसा माल, जिसका वर्गीकरण पूर्वोक्त नियमों के अनुसार नहीं किया जा सकता, ऐसे माल के समुचित शीर्ष के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, जिसके वह सर्वाधिक सदृश है ।

5. विधिक प्रयोजनों के लिए किसी शीर्ष के उपशीर्षों में माल का वर्गीकरण उन उपशीर्षों और किसी अन्य संबंधित उपशीर्ष टिप्पण के पद और यथावश्यक परिवर्तनों सहित पूर्वोक्त नियम के अनुसार इस बोध पर अवधारित किया जाएगा कि केवल उसी स्तर के शीर्ष तुलनीय हैं । इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, संबंधित अध्याय टिप्पण भी लागू होते हैं ।

साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण

1. जहां इस अनुसूची के स्तंभ (2) में शीर्ष के अधीन किसी वस्तु या वस्तु के समूह का वर्णन ''-'' से पहले है, वहां उस वस्तु या वस्तुओं के समूह को उक्त शीर्ष के अंतर्गत आने वाली वस्तु या वस्तुओं के समूह का उप वर्गीकरण होने के रूप में लिया जाएगा तथापि जहां वस्तु या वस्तुओं के समूह का वर्णन ''-'' से पहले आता है, वहां उक्त वस्तु या वस्तुओं के समूह को ऐसी वस्तु या वस्तुओं के समूह के वर्णन से ठीक पहले के उप वर्गीकरण होने के रूप में लिया जाएगा, जो ''-'' है । जहां कोई वस्तु या वस्तुओं का समूह ''---'' या ''----'' से पहले आता है, वहां उस वस्तु या वस्तुओं के समूह के ठीक पूर्ववर्ती वर्णन का वर्गीकरण होने के रूप में लिया जाएगा, जो ''-'' या ''--'' है ।

2. शुल्क की दर के संबंध में, इस अनुसूची के स्तंभ (4) में संक्षेपाक्षर ''%'' यह उपदर्शित करता है कि ऐसे माल पर शुल्क, जिससे प्रविष्टि संबंधित है, उस मूल्य के, जो उक्त स्तंभ में उपदर्शित है, ऐसे प्रतिशत के बराबर शुल्क होने के कारण केंद्रीय उत्पाद-
1944 का 1 शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) या धारा 4 या धारा 4क के अधीन, यथास्थिति, नियत या परिभाषित या समझे गए मूल्य के आधार पर प्रभारित किया जाएगा ।

अतिरिक्त टिप्पण

इस अनुसूची में,--

(1) पद--

(क) माल के संबंध में ''शीर्ष'' से चार अंक की संख्या सहित टैरिफ उपबंधों की सूची में वर्णन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसे सभी टैरिफ मदों के उपशीर्ष आते हैं, जिनके पहले चार अंक उस संख्या के समरूप हैं ;

(ख) माल के संबंध में ''उपशीर्ष'' से छह अंक की संख्या सहित टैरिफ

उपबंधों की सूची में वर्णन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसे सभी टैरिफ मदों के उपशीर्ष आते हैं, जिनके पहले छह अंक उस संख्या के समरूप हैं ;

(ग) माल के संबंध में ''टैरिफ'' से या तो आठ अंक की संख्या और उत्पाद-शुल्क की दर सहित टैरिफ उपबंधों की सूची में माल का वर्णन या शुल्क की दर के स्तंभ में शून्य के साथ आठ अंक की संख्या अभिप्रेत है ;

(2) टैरिफ उपबंधों की सूची को भागों, अध्यायों और उप अध्यायों में विभाजित किया गया है ।

(3) स्तंभ (3) में मात्रा की मानक इकाई, व्यापार सांख्यिकियों के संग्रहण, तुलना और विश्लेषण को सुकर बनाने के लिए प्रत्येक टैरिफ मद के लिए विनिर्दिष्ट की गई है ।

(4) किसी माल के सामने ''.....'' इस बात का द्योतक है कि इस अनुसूची के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय नहीं है ।

प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों की सूची

संक्षेपाक्षर	**के लिए**
1. किग्रा.	किलोग्राम
2. टीयू	संख्या में हजार

भाग 4

तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प

टिप्पण

इस भाग में, ''इकाई पात्र'' पद से पूर्व अवधारित मात्रा या नम्बर रखने के लिए डिजाइन किया गया कोई पात्र, चाहे बड़ा हो या छोटा (उदाहरण के लिए टिन, कैन, बाक्स, जार, बोटल, बैग या कार्टन, ड्रम, बैरल या कनस्तर) अभिप्रेत है ।

अध्याय 24

तम्बाकू या विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प

टिप्पण

1. इस अध्याय में, ''ब्रांड नाम'' से ऐसा कोई ब्रांड नाम, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् कोई नाम या चिह्न, जैसे कोई प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर, आविष्कृत शब्द या कोई लिखावट अभिप्रेत है, जो उत्पाद और किसी व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन सहित या उसके बिना ऐसे नाम का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के प्रक्रम के दौरान संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या उपदर्शित करने के बारे में किसी उत्पाद के संबंध में प्रयुक्त किए गए हैं ।

2. शीर्ष 2402 या 2402 या 2403 के उत्पादों के संबंध में पात्रों पर लेबल लगाना या पुन: लेबल लगाना, थोक पैकों से खुदरा पैकों में पुन: पैक करना, किसी उपभोक्ता के लिए विपणनीय उत्पाद बनाने के लिए किसी अन्य उपचार को अंगीकार करना, उसका 'विनिर्माण' करने की कोटि में आएगा ।

3. इस अध्याय में टैरिफ मद 2403 99 90 में सम्मिलित सामान्यतया 'गुटका'

के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात ''तम्बाकू वाला पान मसाला'' से पान-सुपारी और तम्बाकू और निम्नलिखित किसी एक से अधिक संघटक वाली कोई भी निर्मिति अभिप्रेत है, अर्थात् :--

(i) चूना ; और

(ii) कत्था (कटेचू),

चाहे उसमें कोई अन्य संघटक हो या नहीं, जैसे इलायची, गरि और पोदिना का सत् ।

उपशीर्ष टिप्पण

उपशीर्ष 2403 11 के प्रयोनों के लिए ''हुक्का तम्बाकू'' से किसी हुक्का में धूम्रपान के लिए आशयित तम्बाकू अभिप्रेत है और जो तम्बाकू और ग्लिसरोल के मिश्रण से बना है, चाहे उसमें सुगंधित तेल या निष्कर्षण, चासनी या चीनी हो या नहीं और चाहे उसमें फल का सुवास है या नहीं । तथापि किसी हुक्के में धूम्रपान के लिए आशयित तम्बाकू रहित उत्पादों को इस उपशीर्ष से अपवर्जित किया गया है ।

अनुपूरक टिप्पण

(1) ''तम्बाकू'' से तम्बाकू का कोई भी रूप अभिप्रेत है, चाहे संसाधित हो या असंसाधित और चाहे विनिर्मित हो या नहीं और इसके अंतर्गत तम्बाकू के पौधे की पत्ती, डंडी और तना भी आते हैं किन्तु इसके अंतर्गत तम्बाकू के पौधे का ऐसा कोई भाग नहीं आता, जो अभी भी भू-बध्य है ।

(2) ''कटी हुई तम्बाकू'' से आकार में काटी हुई तैयार या प्रसंस्कृत तम्बाकू अभिप्रेत है, जो साधारणतया मशीन से बनाई गई सिगरेटों के विनिर्माण में वांछित मात्रा तक सम्मिश्रित या आद्र की जाती है ।

(3) उपशीर्ष 2403 10 का ''सिगारों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण'' के अंतर्गत ''गुडाकू'' नहीं आता है ।

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
2401	**अविनिर्मित तम्बाकू ; तम्बाकू उच्छिष्ट**	कि0 ग्रा0	64%
2401 10	-तम्बाकू, जो डंडी/शिरा सहित हैं:	कि0 ग्रा0	64%
2401 10 10	---धूमताल उपचारित वर्जीनिया तम्बाकू	कि0 ग्रा0	64%
2401 10 20	---धू उपचारित देसी (नाटू) तम्बाकू	कि0 ग्रा0	64%
2401 10 30	---धूप उपचारित वर्जीनिया तम्बाकू	कि0 ग्रा0	64%
2401 10 40	---जौ तम्बाकू	कि0 ग्रा0	64%
2401 10 50	---बीड़ियों के विनिर्माण के लिए तम्बाकू जिसमें डंडियां न हों	कि0 ग्रा0	64%
2401 10 60	---चबाने वाले तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि0 ग्रा0	64%
2401 10 70	---सिगरेट और चुरूट के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि0 ग्रा0	64%
2401 10 80	---हुक्का तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि0 ग्रा0	64%

(1)	(2)	(3)	(4)
2401 10 90	---अन्य	कि0 ग्रा0	64%
2401 20	-तम्बाकू जो भागतः या संपूर्णतः डंडीयुक्त या झंगा हुआः	कि0 ग्रा0	64%
2401 20 10	---धूमताल उपचारित विरजिनिया तम्बाकू	कि0 ग्रा0	64%
2401 20 20	---धूप उपचारित देसी (नाटू) तम्बाकू	कि0 ग्रा0	64%
2401 20 30	---धूप उपचारित वर्जीनिया तम्बाकू	कि0 ग्रा0	64%
2401 20 40	---जौ तम्बाकू	कि0 ग्रा0	64%
2401 20 50	---बीड़ियों के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि0 ग्रा0	64%
2401 20 60	---चबाने वाले तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि0 ग्रा0	64%
2401 20 70	---सिगरेट और चुरूट के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि0 ग्रा0	64%
2401 20 80	---हुक्का तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि0 ग्रा0	64%
2401 20 90	---अन्य	कि0 ग्रा0	64%
2401 30 00	-तम्बाकू उच्छिष्ट	कि0 ग्रा0	50%
2402	**तम्बाकू या तम्बाकू अनुकल्प के सिगार, चुरूट, सिगरीला और सिगरेट**		
2402 10	-तम्बाकू युक्त सिगार, चुरूट और सिगरिला:		
2402 10 10	---सिगार और चुरूट	संख्या हजार में	12.5% या 4006 रूपये प्रति हजार, जो भी अधिक हो
2402 10 20	---सिगरीला	संख्या हजार में	12.5% या 4006 रूपये प्रति हजार, जो भी अधिक हो
2402 20	**-तम्बाकू युक्त सिगरेटः**		
2402 20 10	---65 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेटों से भिन्न	संख्या हजार में	1280 रूपये प्रति हजार
2402 20 20	---65 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक फिल्टर वाली सिगरेट से भिन्न	संख्या हजार में	2335 रूपये प्रति हजार
2402 20 30	---65 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अन्तर्गत फिल्टर की लम्बाई, 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	1280 रूपये प्रति हजार
2402 20 40	---65 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	1740 रूपये प्रति हजार
2402 20 50	---70 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 75 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	2335 रूपये प्रति हजार

(1)	(2)	(3)	(4)
2402 20 90	---अन्य	संख्या हजार में	3375 रूपये प्रति हजार
2402 90	-अन्य:		
2402 90 10	---तम्बाकू अनुकल्प की सिगरेट	संख्या हजार में	3375 रूपये प्रति हजार
2402 90 20	---तम्बाकू अनुकल्प की सिगरीला	संख्या हजार में	12.5% या 4006 रूपये प्रति हजार, जो भी अधिक हो
2402 90 90	---अन्य	संख्या हजार में	12.5% या 4006 रूपये प्रति हजार, जो भी अधिक हो
2403	**---अन्य विनिर्मित तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प, "समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तम्बाकू, निष्कर्ष और सत**		
2403 11	- धूम्रपान तंबाकू, चाहे उनमें से किसी भी अनुपात में तंबाकू अनुकल्प हैं या नहीं ; -- इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट जलयुक्त पाइप तंबाकू:		
2403 11 10	--- हुक्का और गुड़कू तम्बाकू	कि0 ग्रा0	60%
2403 11 90	--- अन्य	कि0 ग्रा0	60%
2403 19	---अन्य:		
2403 19 10	--- पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण बीड़ी	कि0 ग्रा0	360%
	--- बीड़ी:		
2403 19 21	---- कागज बेल्लित बीड़ियों से भिन्न, जो मशीन की सहायता के बिना विनिर्मित हो	संख्या हजार में	12 रूपये प्रति हजार
2403 19 29	---- अन्य	संख्या हजार में	80 रूपये प्रति हजार
2403 19 90	--- अन्य	कि0 ग्रा0	40%
	- अन्य		
2403 91 00	-- "समांगीकृत"/"पुनर्रचित" तम्बाकू	कि0 ग्रा0	60%
2403 99	-- अन्यः		
2403 99 10	--- चबाने वाला तंबाकू	कि0 ग्रा0	81%
2403 99 20	--- चबाने वाले तंबाकू वाली विनिर्मितियां	कि0 ग्रा0	60%
2403 99 30	--- जर्दा सुगंधित तंबाकू	कि0 ग्रा0	81%
2403 99 40	--- नस्वार	कि0 ग्रा0	60%
2403 99 50	--- नस्वार वाली निर्मितियां	कि0 ग्रा0	60%
2403 99 60	--- तंबाकू निष्कर्ष और सत	कि0 ग्रा0	60%
2403 99 70	--- कटा हुआ तंबाकू	कि0 ग्रा0	70 रूपये प्रति कि0 ग्रा0
2403 99 90	--- अन्य	कि0 ग्रा0	81%

अध्याय 5

खनिज उत्पाद

अध्याय 27

खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद ; बिटुमनी पदार्थ ; खनिज मोम ।

टिप्पण

1. शीर्ष 2710 में "पेट्रोलियम तेलों और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेलों" के प्रति निर्देशों के अंतर्गत केवल पेट्रोलियम और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल ही नहीं हैं बल्कि वैसे ही और वे तेल भी हैं जो किसी भी प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त, मुख्यतः मिश्र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं, परंतु यह तब जबकि अनऐरोमैटिक संघटकों का भार ऐरोमेटिक संघटकों से अधिक है ।

तथापि, उक्त निर्देशों के अंतर्गत ऐसे द्रव संश्लिष्ट पोलिओलेफिन नहीं है जिनका 1,1013 मिलीबार में संपरिवर्तन के पश्चात् जब समानीत दाब आसबन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, 60% मात्रा से कम का आसवन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है।

2. शीर्ष 2710 के स्नेहक तेलों और स्नेहक निर्मितियों के संबंध में, आधानों के लेबल लगाने या उन पर पुनः लेबल लगाने या परपुंज पैकों से फुटकर पैकों में पुनः पैकिंग करना या उपभोक्ता के लिए उत्पाद को विपणनीय बनाने हेतु किसी अन्य उपचार का अंगीकरण, "विनिर्माण की कोटि में आएगा" ।

3. शीर्ष 2711 के अन्तर्गत आने वाली प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में इसे प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के रूप में विपणन के प्रयोजन के लिए, ईंधन के रूप में प्रयोग के लिए या अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्राकृतिक गैस के संपीडन की प्रक्रिया (भले ही इसमें द्रवीकरण अन्तर्वलित नहीं है), 'विनिर्माण की कोटि में आएगा'।

उपशीर्ष टिप्पण

उपशीर्ष 2710 12 के प्रयोजनों के लिए, "हल्के तेल और निर्मितियां" वे हैं जिनका आयतन के अनुसार 210 डिग्री सेंटीग्रेड (ए.एस.टी.एम.डी. 86 प्रणाली) पर आसवन 90% या अधिक (जिसके अन्तर्गत हानियां भी हैं), आयतन के अनुसार होता है ।

अनुपूरक टिप्पण

इस अध्याय में निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के वही अर्थ हैं जो इसमें उनके हैं--

(1) "मोटर स्पिरिट" से कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन ऑयल (कच्चे खनिज तेल को छोड़कर) अभिप्रेत हैं जिसका प्रज्जवलन बिंदु 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है और जो स्वयं या किसी अन्य द्रव्य के मिश्रण के रूप में स्फुलिंग ज्वलन इंजनों में ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु उपयुक्त है। "विशेष बायलिंग प्वाइंट स्पिरिट (उपशीर्ष 2710 211, उपशीर्ष 2710 212 और उपशीर्ष 2710 213)" से अध्याय टिप्पण 4 में यथापरिभाषित हल्का तेल अभिप्रेत है, जिसमें कोई एन्टीनॉक निर्मितियां न हों और 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान के अंतर पर आसवन आयतन हो (हानियों सहित, जो मात्रा में 5 प्रतिशत और 90 प्रतिशत न हो ।

(2) "प्राकृतिक गैसोलीन द्रव्य (एनजीएल)" एक निम्न क्वथन द्रव पेट्रोलियम उत्पाद है जिसे प्राकृतिक गैसे से निकाला जाता है ।

(3) "विमान टरबाईन ईंधन (एटीएफ)" से कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन तेल अभिप्रेत है जो भारतीय मानक ब्यूरो के भारतीय मानक विनिर्देश आई एस 1571:1992:2000 के अनुरूप हो ।

(4) "उच्च गति डीजल (एच एस डी)" से कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन तेल अभिप्रेत है जो भारतीय

मानक ब्यूरो के भारतीय मानक विनिर्देश आई एस 1460:2000 के अनुरूप हो ।

(5) "इन अतिरिक्त टिप्पणियों के प्रयोजनों के लिए विहित परीक्षणों से" का वही अर्थ है जो निम्नलिखित में उनका है :--

(क) "प्रज्जवलन ताप" का निर्धारण पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) के अधीन बनाए गए नियमों में इस निमित विहित परीक्षणों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) "धूम्रबिंदु" का अवधारण तत्समय प्रवृत्त भारतीय मानक संस्था विनिर्देश आई एस:1448 (पृष्ट 31) 1967 में निर्दिष्ट रीति से धूम्रबिन्दु लैम्प के रूप में ज्ञात उपस्कर में किया जाएगा ।

(ग) "अंतिम क्वथांक" का अवधारण तत्समय प्रवृत्त भारतीय मानक संस्था विनिर्देश आई एसः 1448 (पृष्ठ 18) 1967 में निर्दिष्ट रीति में किया जाएगा ।

(घ) "कार्बन अपशिष्ट" का निर्धारण तत्समय भारतीय मानक संस्था विनिर्देश आई एसः 1448 (पृष्ठ 8) 1967 में निर्दिष्ट रीति में रैम्सबोटम कार्बन अपशिष्ट उपस्कर के रूप में ज्ञात उपस्कर में अवधारित किया जाएगा ।

(ड.) 'रंग तुलन परीक्षण' निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) आसवितंजल में सबसे पहले पोटेशियम आयोडीन (विश्लेषण अभिकर्मक क्वालिटी) का पांच प्रतिशत भार का आयतन घोल तैयार किया जाएगा ।

(ii) इसमें ठीक 0.04 सामान्य आयोडीन घोल तैयार करने के लिए अपेक्षित मात्रा मे आयोडीन विश्लेण अभिकर्मक क्वालिटी मिलाई जाएगी ।

(iii) इसके पश्चात्, इस प्रकार तैयार परीक्षणाधीन आयोडीन घोल की खनिज तेल के रंग से तुलना की जाएगी ।

टैरिफ मद	माल का वर्णन	ईकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
2709	पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त कच्चा तेल	कि.ग्रा.	....
2709 10 00	पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल	कि.ग्रा.	....
2709 20 00	कच्चा पेट्रोलियम		शून्य
2710	पेट्रोलियम तेल तथा बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल (कच्चे तेल से भिन्न) ऐसी निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल भार के आधार पर 70 प्रतिशत या उससे अधिक है, जब यह तेल उन निर्मितियों की मूल संघटक हैं, अवशिष्ट तेल पेट्रोलियम तेल तथा बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल (कच्चे तेल से भिन्न) ऐसी निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल भार के आधार पर 70 प्रतिशत या उससे अधिक है, जैव डीजल अंतर्विष्ट करने वाले से भिन्न, जब यह तेल उन निर्मितियों की मूल संघटक हैं और अवशिष्ट तेल से भिन्न		

(1)	(2)	(3)	(4)
2710 12	-- हल्के तेल और निर्मितियां		
	--- मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात) :		
2710 12 11	---- विशिष्ट क्वथनांक स्पिरिट (बैंजीन टुलूओल से भिन्न) नामीय क्वथनांक रेंड 55-115 डिग्री सेंटीग्रेड सहित	कि.ग्रा.	14%+ 15.00 रु. प्रतिलीटर
2710 12 12	---- विशिष्ट क्वथनांक स्पिरिट (बैंजीन, टुलीन और टुलूओल से भिन्न) नामीय क्वथनांक 63-70 डिग्री सेंटीग्रेड सहित	कि.ग्रा.	14%+ 15.00 रु. प्रतिलीटर
2710 12 13	---- अन्य विशेष क्वथनाक बैंजीन, टुलूओल और टुलूओल से भिन्न)	कि.ग्रा.	14%+ 15.00 रु. प्रतिलीटर
2710 12 19	---- अन्य	कि.ग्रा.	14%+ 15.00 रु. प्रतिलीटर
2710 12 20	--- प्राकृतिक द्रव्य गैसोलीन (एन जी एल)	कि.ग्रा.	14%+ 15.00 रु. प्रतिलीटर
2710 12 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	14%+ 15.00 रु. प्रतिलीटर
2710 19	-- अन्य :		
2710 19 10	--- बेहतर मिट्टी का तेल (एस के ओ)	कि.ग्रा.	...
2710 19 20	--- एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ए टी एफ)	कि.ग्रा.	14%
2710 19 30	--- उच्च गति डीजल (एच एस डी)	कि.ग्रा.	...
2710 19 40	---हल्का डीजल तेल (एल डी ओः	कि.ग्रा.	...
2710 19 50	--- ईंधन तेल	कि.ग्रा.	...
2710 19 60	--- बेस आयल	कि.ग्रा.	...
2710 19 70	--- जूट बैचिंग तेल और टेक्सटाइल तेल	कि.ग्रा.	...
2710 19 80	--- स्नेहक तेल	कि.ग्रा.	...
2710 19 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	...
	- अपशिष्ट तेल :		....
2710 20 00	पेट्रोलियम तेल तथा बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल (कच्चे तेल से भिन्न) और ऐसी निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, भार के आधार पर 70 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, जब ये तेल उन निर्मितियों के मूल संघटक हैं, जिनमें बायोडीजल हो, अवशिष्ट तेल से भिन्न	कि.ग्रा.	...
2710 91 00	-- तेल क्लोरीनेटित बाइफिनाल (पीसीबी) बहुक्लोरिनेटित टाइफिनायल (पीसीटी) या बहुबोरोमिनेटित बाइफिनायल (पीबीबी)	कि.ग्रा.	...
2710 99 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	...
2711	पेट्रोलियम गैस और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन		
	- द्रवीकृत :		
2711 11 00	-- प्राकृतिक गैस	कि.ग्रा.	14%

(1)	(2)	(3)	(4)
2711 12 00	-- प्रोपेन	कि.ग्रा.	...
2711 13 00	-- ब्यूटेन	कि.ग्रा.	...
2711 14 00	-- एथलीन, प्रोपिलीन, बुटीलीन और बुटाडीन	कि.ग्रा.	...
2711 19 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	...
	- गैसीय अवस्था में:		
2711 21 00	-- प्राकृतिक गैस	कि.ग्रा.	14%
2711 29 00	-- *अन्य*	कि.ग्रा.	...

तीसरी अनुसूची

(धारा 15 देखिए)

वर्ष	सं.	अधिनियमितियों का संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)
1947	24	रबड़ अधिनियम 1947	धारा 9 की उपधारा के खंड
1951	65	उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम, 1951	धारा 9
1953	29	चाय अधिनियम, 1953	धारा 3 का खंड (ग), धारा 25 और धारा 26 और धारा 27 की उपधारा (1) का खंड (क)
1974	28	कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974	धारा 6, 7 और 8
1976	56	बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1977	36	जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977	संपूर्ण
1982	3	चीनी उपकर अधिनियम, 1982	संपूर्ण
1982	4	चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982	धारा 2 की उपधारा (2)
1983	28	जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम, 1983	संपूर्ण
2004	23	वित्त अधिनियंम (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004	धारा 93
2007	22	वित्त अधिनियम, 2007	धारा 138
2010	14	वित्त अधिनियम, 2010	अध्याय 7
2015	20	वित्त अधिनियम, 2015	अध्याय 6
2016	28	वित्त अधिनियम, 2016	अध्याय 6 और 7

GMGIPMRND—95LS(CRC)—6-4-2017.